99

संख्याः–883 /XXVIII(1)/2011-02(हल्द्वानी)2013
1195

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 7 अप्रैल मार्च, 2014

विषयः– राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विभागीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकें कय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–26प/चि0शि0/161/2013/1038, दिनांक 28.02.2014 एवं पत्र संख्या–26प/चि0शि0/161/2013/4061 दिनांक 10.12.2013, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विभागीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकें कय किये जाने के संबंध मे ₹ 30.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–1080/XXVIII(1)/2014-02 Budget (हल्द्वानी)/2012 T.C दिनांक 26.03.2014 के माध्यम से पुनर्विनियोग द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

i– उपरोक्त क्रय प्रक्रिया हेतु, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही के उपरान्त आने वाली वास्तविक लागत अथवा उपरोक्त, जो भी कम हो, का ही व्यय किया जाएगा। क्रय के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है, तो उसे कोषागार में जमा किया जाएगा।

ii– व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii– भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि पुस्तकों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप हैं एवं तद्नुसार ही सम्पादित किये जायेंगे।

iv– उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है। भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया है।

v– कार्य पर उस सीमा तक ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

vi– स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

vii– धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

2– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनागत–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–04–मेडिकल कॉलेज–07–राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के अन्तर्गत मनक मद–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या–413/XXVII(1)/2013, दिनांक 10 जून, 2013 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. बजट प्रकोष्ट, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0 पन्त)
अनु सचिव।